

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)(जिला पदाधिकारी, किशनगंज का स्वीकृत्यादेश संलग्न)04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृत्योपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों/लाभुकों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/लाभुक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एन.एस.सी	अनुदान की राशि	मृत्यु/नि:शक्तता का थोरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० महताब आलम, 32, मो० सरफोदीन, सामान्य	श्रीमती मैफुन निशा(पत्नी)	269/6.11.19	ग्रा०-नगर पंचायत वार्ड न० 04, पो०+था०+प्र०-बहादूरगंज, किशनगंज	1008391030125544	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बेल्टिंग मिस्री
2	स्व० दिनेश कुमार हरिजन, 36, श्री आमलाल हरिजन, अनु० जाति	श्रीमती सजनी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-कोठीटोला, पं०+पो०-भाटावाड़ी, था०+प्र०-बहादूरगंज, किशनगंज	36164687250	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0011809	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक खेतिहर मजदूर
3	स्व० उमेश लाल दास, 35, श्री अमी लाल दास, अनु० जाति	श्रीमती बबीता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-देवोतर विरनिया, पं०+पो०-समेसर, था०+प्र०-बहादूरगंज, किशनगंज	21728100009901	बैंक ऑफ बड़ौदा BARBOSAMSE W	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पान दुकानदार
4	स्व० मंजुर आलम, 49, स्व० अब्दुल रज्जाक, सामान्य	श्रीमती नुरजसन (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-चिकनी मानी, पं०+पो०-माधोहाट, था०+प्र०-कोचाधामन, किशनगंज	1081441030020740	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक

कुल :- ₹ 120000/-

(एक लाख बीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-29/2019 के पृष्ठ-18/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-26/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-26/2019-445

पटना, दिनांक :- 12-12-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।